

स्वतंत्र निदेशकों हेतु परिचयकरण कार्यक्रम के लिए नीति

1. प्रस्तावना

- 1.1 सेबी (लिस्टिंग दायित्व और प्रकटीकरण आवश्यकताएं) विनियम 2015 के विनियम 25(7) यथासंशोधित ("लिस्टिंग विनियम") परस्पर निर्धारित करता है कि कंपनी अपने स्वतंत्र निदेशकों को कंपनी के साथ, उनकी भूमिका, अधिकार, कंपनी में जिम्मेदारियां, कंपनी का व्यवसाय मॉडल, उद्योग की प्रकृति, जिसमें कंपनी संचालित करती है, आदि आवधिक कार्यक्रमों के माध्यम से परिचित कराएगी।
- 1.2 एमएसटीसी लिमिटेड (इसके बाद "एमएसटीसी" या "कंपनी" के रूप में संदर्भित) के स्वतंत्र निदेशकों के लिए परिचयकरण कार्यक्रम ("नीति") के लिए यह नीति तदनुसार सूचीबद्ध विनियमों की पूर्वोक्त आवश्यकताओं के अनुसरण में तैयार की गई है।
- 1.3 बोर्ड ने 11 जनवरी 2019 को आयोजित अपनी बैठक में नीति को मंजूरी दे दी है।

2. नीति का प्रयोजन और उद्देश्य

- 2.1 स्वतंत्र निदेशकों को कंपनी के मामले में एक अंतर्दृष्टि प्रदान करना और कंपनी के उस स्वरूप के बारे में जिसमें कंपनी संचालित करती है, कंपनी के बिजनेस मॉडल सहित कंपनी के बारे में उन्हें परिचित करना और उन्हें उनकी भूमिकाओं, अधिकारों और जिम्मेदारियों के आदी बनाना जो कंपनी के लिए योगदान देने में उनकी सक्रिय भागीदारी को सुविधाजनक बनाएंगे।

3. परिचयकरण और शिक्षा प्रक्रिया जारी रखना

- 3.1 कंपनी के नवनियुक्त स्वतंत्र निदेशकों को कंपनी के विभिन्न पहलुओं जैसे संविधान, दृष्टि व मिशन वक्तव्य, गतिविधियों, व्यवसाय मॉडल, भौगोलिक स्थल जिसमें कंपनी प्रचालन, बैंड प्रक्रिया, रणनीतिक दिशा-निर्देश आदि की विस्तृत प्रस्तुति द्वारा परिचित करवाया जाएगा।
- 3.2 सूचना सामग्री मसलन आचार संहिता, आंतरिक प्रक्रियाओं की संहिता, आंतरिक व्यापार की मनाही हेतु संहिता और कंपनी की अन्य प्रयोज्य नीतियां, निष्पादन के प्रमुख बिन्दु आदि पर प्रकाश डाला जाएगा और स्वतंत्र निदेशक को कंपनी के प्रति उनकी भूमिकाओं, अधिकारों, जिम्मेदारियों हेतु जागरूकता पैदा की जाएगी।
- 3.3 परिचयकरण कार्यक्रम कंपनी के वित्तीय प्रदर्शन और कंपनी के बजट तथा नियंत्रण प्रक्रिया से संबंधित जानकारी प्रदान करेगा।
- 3.4 आवधिक प्रस्तुतियों, जैसा कि आवश्यक हो सकता है, स्वतंत्र निदेशकों को सभी व्यवसाय से संबंधित मामलों और कंपनी द्वारा किए गए नियामक परिवर्तन सह नए प्रयासों से अद्यतन करवाया जाएगा, जो कंपनी के प्रचालन के प्रभाव सहित स्वतंत्र निदेशक की भूमिका और जिम्मेदारियों को प्रभावित करती हैं। कंपनी अपने स्वतंत्र निदेशकों के लिए विभिन्न लागू कानूनों के परिपेक्ष्य से स्वतंत्र निदेशकों की भूमिकाओं, अधिकारों, कर्तव्यों तथा जिम्मेदारियों को रेखांकित करते हुए स्वतंत्र निदेशक हेतु प्रशिक्षण कार्यक्रम भी आयोजित कर सकते हैं।
- 3.5 स्वतंत्र निदेशकों को भी समय समय पर विभिन्न संगोष्ठियों, सम्मेलनों के प्रशिक्षण कार्यक्रमों में भाग लेने की सिफारिश की जा सकती है।

3.6 कंपनी के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक तथा अन्य अधिकारीगण व्यवसाय/उद्योग से संबंधित पहलूओं पर परिचयीकरण कार्यक्रम में नेतृत्व करेंगे। कंपनी के मुख्य वित्त अधिकारी/नि (वि) या ऐसे अन्य प्राधिकृत अधिकारी कंपनी के वित्तीय प्रदर्शन और बजट नियंत्रण प्रक्रिया आदि पर जानकारी प्रदान करने के लिए कार्यक्रम में भाग ले सकते हैं, इसके अलावा कंपनी के कंपनी सचिव और अन्य वरिष्ठ प्रबंधन कार्मिक/प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिक शामिल होते हैं और जब इस तरह के कार्यक्रम को संचालन करने की आवश्यकता होती है।

4. प्रकटीकरण

4.1 कंपनी द्वारा जब परिचयकरण कार्यक्रम का संचालन किया जाता है, तो कंपनी की वेबसाइट पर इसका प्रकटीकरण किया जाएगा। परिचयकरण कार्यक्रम के विवरण का प्रकटीकरण कंपनी के वेबसाइट पर किया जाएगा और इसके वेब लिंक वार्षिक रिपोर्ट में प्रदान किया जाएगा। सूचीकरण विनियम के विनियम 46 के तहत आवश्यक है कि स्वतंत्र निदेशक को दिए जाने वाले परिचयकरण कार्यक्रम के विवरण में निम्नलिखित तथ्य शामिल होंगे:

- (क) वर्ष के दौरान और आज तक संचयी आधार पर स्वतंत्र निदेशकों द्वारा प्रतिभागिता करने वाले कार्यक्रमों की संख्या;
- (ख) वर्ष के दौरान आज तक संचयी आधार पर ऐसे कार्यक्रमों में स्वतंत्र निदेशकों द्वारा बिताए गए घंटों की संख्या; तथा
- (ग) अन्य प्रासंगिक विवरण

5. संशोधन

5.1 बोर्ड(इसकी विधिवत गठित समितियों सहित जहां भी अनुमन्य है), इस नीति के किसी भी प्रावधान में संशोधन करने की, किसी भी प्रावधान को नए प्रावधान के साथ बदल देने या इस नीति को पूरी तरह से एक नई नीति के साथ बदल देने की शक्ति रखता है। यह नीति समय-समय पर आवश्यकता/नियामक संशोधनों के अनुसार समीक्षा/परिवर्तनों के आधीन हो सकती है।